राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 584/2017

प्रभुदयाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोन भरतपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सर्किल भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.03.2017

आदेश की दिनांक : 15.07.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : –

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 25.04.2012 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा मय शेष राशि सहित ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति बेलदार के पद पर हुई थी और राजस्थान आश्रित नियम, 1975 के तहत अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.09.1982 के द्वारा मुंशी के पद पर नियुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 25.01.1992 के तहत चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें अधिसूचना दिनांक 30.09.1998 के द्वारा कार्य प्रभारित कार्मिकों को भी उक्त लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ न देते हुये उसे आदेश दिनांक 10.04.2012 के द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त लाभ दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी मुंशी के पद पर दिनांक 14.09.1982 को नियुक्त हुआ और उक्त तिथी से ही अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी को दिनांक 14.09.2000 को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, परंतु आदेश दिनांक 25.04.2012 के द्वारा प्रत्याहरित कर लिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया और उसके पश्चात् अपीलार्थी राजकीय सेवा से दिनांक 31.10.2014 को मुंशी के पद से सेवानिवृत्त हो गया। जबकि अपीलार्थी के समान वाले मामले में अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1678/2002 दीनदयाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 04.06.2010 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को उसकी सेवायें की अवधि को विचार करने हेतु निर्देश दिये और इस प्रकार अपीलार्थी का मामला भी उक्त मामले के समान है। अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने से वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 25.04.2012 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा मय शेष राशि सहित ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 10.01.2018 को अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी आदेश

दिनांक 14.09.1982 के द्वारा मुंशी के पद पर उसे वेतनमान 355–10–415–15–550–20–570 में नियुक्त किया गया। अपीलार्थी इससे पूर्व बेलदार के पद पर दिनांक 01.10.1977 से 01.10.1979 तक कार्यरत रहा। श्री दीनदयाल, बेलदार के पद पर कार्यरत था और 2 वर्ष पूर्ण करने पर अर्द्धस्थायी बेलदार के पद पर किया गया। अपीलार्थी मृत्तक आश्रित के तहत अर्द्धस्थायी बेलदार के पद पर कार्य कर 2 वर्ष पूर्ण करने पर बेलदार पद पर अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। आदेश दिनांक 25.04.2012 पूर्णतः नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति बेलदार के पद पर हुई थी। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.09.1998 के द्वारा कार्य प्रभारित कार्मिकों को भी चयनित वेतनमानों का लाभ देने का प्रावधान किया गया। परंतु अपीलार्थी को मुंशी के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.09.1982 से चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को मुंशी के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.09.1982 से नहीं दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी ने दिनांक 01.10.1977 से 01.10.1979 तक बेलदार के पद पर कार्य किया और उसे आदेश दिनांक 10.04.2012 में अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी मानते हुये आदेश दिनांक 14.09.1982 को मुंशी के पद पर अर्द्धस्थायी अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 14.09.1982 को मुंशी के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित किया गया और राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.09.1998 द्वारा कार्य प्रभारित कार्मिकों को चयनित वेतनमानों का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है और इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी भी उक्त अधिसूचना के तहत प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.09.1982 से मुंशी के पद पर नियुक्त तिथी से 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3217/1997 धर्मवीर सैन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2003 में भी नियमित नियुक्ति दिनांक से ही चयनित वेतनमान आदि का लाभ प्रदान किया जाना उचित माना है। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त

लाभ अर्द्धस्थायी तिथी से प्राप्त करने का हकदार है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 25.04.2012 को अपास्त फरमाया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिस तिथी 14.09.1982 से अपीलार्थी को मुंशी के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित किया गया है उसी तिथी से अपीलार्थी को नियमानुसार राज्य सरकार की कार्य प्रभारित कार्मिकों के चयनित वेतनमानों के संबंध में जारी अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुये 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नियमानुसार प्रदान किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य